न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–46 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
युवराजसिंह पुत्र अचलाराम चौधरी जाति जाट निवासी कादानाडी तहसील सिणधरी		1. अचलाराम पुत्र खंगाराराम 2. डालूरामप पुत्र खंगाराराम 3. तेजाराम पुत्र खंगाराराम 4. मूलाराम पुत्र दीपाराम 5. जीयाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी कादानाडी तहसील सिणधरी 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–05.12.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम कादानाडी में खेत खसरा नम्बर 347, 348, 349, 350 रकबा क्रमशः 0.1294 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 0.0728 हैक्टेयर, 11. 7629 हैक्टेयर कुल रकबा 11. 9975 हैक्टेयर तथा ग्राम लाखाबेरी के खसरा नम्बर 106 रकबा 4.0693 हैक्टेयर तथा मौजा कूकलो की ढाणी के खसरा नम्बर 331/1 रकबा 3. 4140 हैक्टेयर आई हुई है। कि वक्त भू–बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादी के दादा खंगाराराम पुत्र भीयाराम के नाम जारी हुआ तथा खंगाराराम के फौत होने पर उनके विधिक उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या [illegible] इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अप[illegible] खंगाराराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है वादी अप[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उतराधिका[illegible] भूमि में वादी व खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृ[illegible] का 1/8 [illegible] /8 हिस्सा पैतृक प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/8 [illegible] /8 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते हैं। कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

5(1) राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पुत्री को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों का जन्म से ही अधिकार होता है। अतः वादग्रस्त आराजी जिला बाड़मेर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम कादानाडी में खेत खसरा नम्बर 347, 348,, 349, 350 रकबा क्रमशः 0.1294 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर,0.0728 हैक्टेयर, 11.7629 हैक्टेयर कुल रकबा 11.9975 हैक्टेयर तथा ग्राम लाखाबेरी के खसरा नम्बर 106 रकबा 4.0693 हैक्टेयर तथा मौजा कूकलो की ढाणी के खसरा नम्बर 331/1 रकबा 3. 4140 हैक्टेयर में वादी का 1/8 हिस्सा पैतृक होने से वादी की खातेदारी की घोषित करते हुऐ वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें व बाद घोषणा के प्रतिवादी सं. 1 से 05 के विरूद्व अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दायर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 05 की जरिये सम्मन तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 2,3 व स्वयं ने उपस्थित होकर मौखिक रूप से सरे इजलास स्वीकार किया कि वादी द्वारा अपने वाद के जरिये पैतृक खातेदारी की भूमि में खातेदारी घोषणा हेतु वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं है। शेष प्रतिवादी सं. 1 व 4 बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से अपने वाद कथन के समर्थन में स्वयं वादी युवराजसिंह पी.डब्ल्यु–1, मुकनाराम पी.डब्ल्यु–2 के बतौर गवाह शपथपत्र प्रस्तुत हुए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी खाता सं. 10 EXP-1, जमाबन्दी खाता सं. 27 EXP-2, जमाबन्दी खाता सं. 27 ग्राम लाखाबेरी EXP-3, नक्शा ग्राम कादानाडी EXP-4, नक्शा ग्राम कूकलो की ढाणी EXP-5, नक्शा ग्राम लाखाबेरी EXP-6, प्रथम जमाबन्दी सम्वंत् 2012 EXP-7 तथा वादी का आधार कार्ड–EXP-8 प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम कादानाडी में खेत खसरा नम्बर 347, 348, 349, 350 रकबा क्रमशः 0.1294 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 0.0728 हैक्टेयर, 11.7629 हैक्टेयर कुल रकबा 11. 9975 हैक्टेयर तथा ग्राम लाखाबेरी के खसरा नम्बर 106 रकबा 4.0693 हैक्टेयर तथा मौजा कूकलो की ढाणी के खसरा नम्बर 331/1 रकबा 3. 4140 हैक्टेयर आई हुई है। कि वक्त भू–बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादी के दादा खंगाराराम पुत्र भीयाराम के नाम जारी हुआ तथा खंगाराराम के फौत होने पर उनके विधिक उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व. खंगाराराम से पैतृक सम्पति [illegible] है वादी अपने दादा खंगाराराम की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी क[illegible]राधिकारी है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी [illegible] भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक हिस्[illegible]र्थात प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा [illegible] तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते हैं। इस प्रकार बावजूद निरन[illegible] कब्जा काश्त एवं हक के वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी से महरूम हो गया। अतः वादी उक्त भूमि के रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 1 के 1/8–1/8 खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रों एवं इस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। वादी की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम कादानाडी में खेत खसरा नम्बर 347, 348, 349, 350 रकबा क्रमशः 0.1294 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 0.0728 हैक्टेयर, 11.7629 हैक्टेयर कुल रकबा 11.9975 हैक्टेयर तथा ग्राम लाखाढेरी के खसरा नम्बर 106 रकबा 4.0693 हैक्टेयर तथा मौजा कुकलो की ढाणी के खसरा नम्बर 331/1 रकबा 3.4140 हैक्टेयर आई हुई है। कि उक्त भू-बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादी के दादा खुंगाराराम पुत्र मोयाराम के नाम जारी हुआ तथा खुंगाराराम के फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व. खुंगाराराम से पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई है वादी अपने दादा खुंगाराराम की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उत्तराधिकारी है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं 1 के 1/4 हिस्से की भूमि का 1/2 हिस्से की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारिणी है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम कादानाडी में खेत खसरा नम्बर 347, 348, 349, 350 रकबा क्रमशः 0.1294 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 0.0728 हैक्टेयर, 11.7629 हैक्टेयर कुल रकबा 11.9975 हैक्टेयर तथा ग्राम लाखाढेरी के खसरा नम्बर 106 रकबा 4.0693 हैक्टेयर एवं मौजा कुकलो की ढाणी के खसरा नम्बर 331/1 रकबा 3.4140 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सह खातेदार करार करते हुए वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
युवराजसिंह पुत्र अचलाराम चौधरी जाति जाट निवासी कादानाडी तहसील सिणधरी		1. अचलाराम पुत्र खंगाराराम 2. डालूरामप पुत्र खंगाराराम 3. तेजाराम पुत्र खंगाराराम 4. मूलाराम पुत्र दीपाराम 5. जीयाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी कादानाडी तहसील सिणधरी 6. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः— 88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :—46/2023
निर्णय दिनांक :— 05.12.2024

वादी की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता , प्रतिवादी सं. 2 , 3 व 5 स्वयं तथा प्रतिवादी 6 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.12.2024 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः—** वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम कादानाडी में खेत खसरा नम्बर 347, 348, 349, 350 रकबा क्रमशः 0. 1294 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर, 0.0728 हैक्टेयर, 11.7629 हैक्टेयर कुल रकबा 11. 9975 हैक्टेयर तथा ग्राम लाखाबेरी के खसरा नम्बर 106 रकबा 4.0693 हैक्टेयर एवं मौजा कूकलो की ढाणी के खसरा नम्बर 331/1 रकबा 3. 4140 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सह खातेदार करार करते हुए वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible] पदेन
सहायक कलक्टर [illegible]

वाद के खर्चे

वादीनीगण	रूपया	[illegible]	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	